न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र सं.10/2023

प्रार्थी–

1. द्वारकेश्वरी पत्नी महेन्द्र कुमार फौत के विधिक वारिस श्री गणपत कुमार पुत्र स्व. महेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी शिव कॉलोनी, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते निरस्त करवाने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 26.03.1991 नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 13.07.1968 अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी द्वारकेश्वरी के पक्ष में मौजा खेड़ के खसरा नम्बर 622/300 रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन की गई।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनील K मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी जरिये सरकार तहसीलदार पचपदरा।

निर्णय

दिनांक : 19.04.2024

1. प्रार्थीनी की ओर से यह आवेदन संक्षिप्त तथ्य यह है कि अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन आदेश दिनांक 13.07.1968 तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रार्थीनी द्वारकेश्वरी के पक्ष में मौजा खेड़ के खसरा नंबर 622/300 रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन को श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 113/1988 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा बनाम द्वारकेश्वरी में दिनांक 26.03.1991 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त एक पक्षीय कार्यवाही

जिला कलक्टर
बालोतरा

के विरूद्ध यह आवेदन पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. जो न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में दिनांक 20.10.2021 एवं इस न्यायालय में दिनांक 01.11.2023 को प्रस्तुत किया गया हैं। आवेदन को इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाव हेतु नोटिस जारी किया गया। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने वहस निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर, वाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 113/1988 वअनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा वनाम द्वारकेश्वरी में दिनांक 26.03.1991 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए द्वारकेश्वरी को मौजा खेड़ के खसरा नंवर 622/300 रकवा 30 वीघा भूमि के लिये किये गये आवंटन आदेश दिनांक 13.07.1968 को निरस्त करते हुए द्वारकेश्वरी की गैर खातेदारी हटाकर उक्त भूमि राज्यसात का निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी गणपत कुमार की माता द्वारकेश्वरी को दिनांक 13.07.1968 को मौजा खेड़ में उक्त खसरान भूमि आवंटन समिति द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त आदेश में आवंटन समिति द्वारा पटवार हल्का खेड़ को मौके पर नाप कर प्रत्येक आवंटी को कब्जा सुपुर्द करने एवं नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश जारी किये गये थे। पटवार हल्का खेड़ द्वारा आवंटन समिति के निर्देशों की पालना नहीं करते हुए न तो भौतिक कब्जा रिपोर्ट तैयार की और न ही विधिक रूप से कब्जा सुपुर्द किया, केवल प्रार्थीनी को भूमि वता कर कब्जा दिया गया। साथ ही पटवारी ने प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में विना नामान्तरकरण जमाबंदी संवत 2025–28 में गैर खातेदार के रूप में दर्ज कर प्रार्थीनी को प्रतिलिपि दी गई, जिसे प्रार्थीनी आश्वस्त थी कि राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका हैं। इसलिए उक्त भूमि पर एक कच्चा झौंपा बनाकर खेत के चारों ओर वाड़ कर एवं वर्षा के समय प्रार्थीनी द्वारा वरसात की खेती करती थी एवं शेष समय में वालोतरा शहर में रहती थी। तहसीलदार पचपदरा द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर, वाड़मेर के न्यायालय में दिनांक 06.03.1987 को एक आवेदन पेश कर प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने वावत 14(4) राजस्थान भू राजस्व पेश किया, जो आवेदन जिला कलक्टर वाड़मेर द्वारा दिनांक 24.08.1987 का दर्ज कर प्रार्थीनी को नोटिस जारी किये गए। प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 14.10.1987 को लिखित जवाव पेश कर करते हुए यह जाहिर किया कि तहसीलदार, पचपदरा द्वारा प्रार्थीनी को विवादित आराजी का राजस्व दस्तावेजों के अनुसार नियम की पालना कर विधिवत कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है। उक्त जवाव पेश करने पर

जिला कलक्टर
वालोतरा

तत्कालीन न्यायालय अधिकारियों द्वारा प्रार्थीनी के पति महेन्द्र कुमार को यह कहा गया कि तहसीलदार आपको विधिवत कब्जा सुपुर्द कर देगा एवं आपका आवंटन यथावत रहेगा। इस आश्वासन से प्रकरण को निर्णित मानकर दुबारा कभी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

3. प्रार्थीनी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त प्रकरण की पत्रावली जिला न्यायालय बाड़मेर से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाड़मेर में स्थानान्तरित कर दी गई। उक्त प्रकरण में वर्ष 1988 से लगातार दिनांक 26.03.1991 तक कार्यवाही की गई, किन्तु प्रार्थीनी को उपस्थित होने बाबत् कोई निर्देश नहीं दिये गये एवं न ही तहसीलदार पचपदरा के कोई साक्ष्य शपथ पत्र प्राप्त किये गए। दिनांक 26.03.1991 को प्रार्थीनी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का अंकन करते हुए बहस का अवसर दिये बिना ही आवंटन दिनांक 13.07.1968 को निरस्त करते हुए आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आलोच्य निर्णय की जानकारी प्रार्थीनी को जीवन पर्यन्त नही हो पाई थी। श्रीमान न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने हेतु प्रार्थीनी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का अंकन अपने निर्णय में किया गया है। पत्रावली की आदेशिका में 36 सुनवाईयों तक लगातार प्रार्थीनी को अनुपस्थित बताया गया, लेकिन उसके विरूद्ध कोई एकतरफा कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई एवं अंतिम सुनवाई के दिन ही प्रार्थीनी के विरूद्ध एकतरफा का अंकन है। एकतरफा कार्यवाही का आदेश कब और किस प्रकार पारित किया गया, इसका कोई अंकन पत्रवाली की आदेशिका में नहीं है। एक तरफा कार्यवाही से पूर्व उसे पुनः न्यायालय में उपस्थिति बाबत् नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही विधि एवं नियमों के प्रतिकुल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नियम 1970 के तहत स्वयं तहसीलदार, पचपदरा द्वारा मात्र एक आधार के तहत मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, का अंकन करते हुए आवेदन पेश किया गया एवं शेष बिन्दू खाली थे। उक्त आवेदन के साथ मौका रिपोर्ट या हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। दिनांक 20.06.1990 में तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट में कब्जा देने संबंधित कोई रेकर्ड पटवारी हल्का के पास नहीं है, इसके साथ अन्य बिन्दू भी अंकित है। न्यायालय अति. जिला कलक्टर बाड़मेर ने तहसीलदार पचपदरा दिनांक 20.06.1990 की रिपोर्ट को निर्णय का आधार बनाया कि उक्त वर्णित तथ्यों को सही मानते हुए एवं गिरदावरी पटवारी द्वारा आवंटित भूमि पर प्रार्थी की कृषि दर्ज नहीं होकर, भूमि बंजर दर्ज होने एवं कब्जा काश्त नहीं होने के तथ्यों को पूर्ण प्रमाणित मानकर आलोच्य एकतरफा आदेश पारित किया गया है, लेकिन उसमें बिन्दू संख्या 1 से 4

जिला कलक्टर
बालोतरा

का अवलोकन करने से यह पूर्णत स्थापित है कि तत्कालिन पटवार हल्का खेड़ के पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक अपने विधिक दायित्वों के प्रति पूर्णत लापरवाह थे। उक्त प्रकरण में स्थापित रूप से राजस्व अधिकारियों अर्थात तत्कालीन हल्का पटवारी खेड़ व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण सही नहीं किया एवं आवंटन समिति के निर्देशों की पालना नहीं की गई एवं मौके पर कब्जा प्रार्थीनी को देन के पश्चात् भी रिकार्ड कब्जा सुपुर्दगी की फर्द जारी नहीं गई। ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही की सजा निर्दोष पक्षकार प्रार्थीनी को नहीं दी जा सकती। प्रार्थीनी के कायम मुकाम गणपत कुमार को आलोच्य निर्णय की जानकारी नहीं थी एवं वह लगातार विवादित आराजी पर निर्बाध रूप से काबिज रहे है। अप्रार्थी गणपत कुमार ने अपनी भूमि की जमाबन्दी लेने हेतु पटवारी से संपर्क किया तो पटवारी ने यह बताया कि विवादित आराजी प्रार्थी की माता द्वारकेश्वरी के नाम खातेदारी में न होकर सरकार के नाम है एवं प्रार्थी की माता द्वारकेश्वरी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जा चुका है। दिनांक 01.10.2021 को प्राप्त नकल से आलोच्य एकपक्षीय निर्णय की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी द्वारा यह आवदेन पेश किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 26.031991 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार किया जाना न्यायोचित है।

4. हमने पत्रावली में प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन दिनांक 13.07.1968 के विरूद्ध तहसीलदार पचपदरा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 06.03.1987 को दर्ज होने के बाद अप्रार्थी द्वारा दिनांक 14.10.1987 को प्रकरण के पत्रावली में जवाब भी दिया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण की सूचना अप्रार्थी को थी। प्रकरण में तामिल होने के पश्चात् पत्रावली में प्रभावी पैरवी करने की जिम्मेवारी संबंधित पक्षकार की होती है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब उपरांत 20.03.1991 को एकपक्षीय का आदेशिका में अंकन करते हुए, बहस उपरांत फैसला सुनाया गया, जिस हेतु अप्रार्थीगण को समुचित लगभग 36 बार पेशी का अवसर दिया गया। एक पक्षीय कार्यवाही को पुनः द्विपक्षीय सुनवाई करने हेतु विचाराधीन प्रकरण में समयपूर्वक उसी न्यायालय में सीपीसी के प्रावधानों के नियमानुसार प्रार्थना पत्र लगाकर पैरवी अपेक्षित थी, जो कि प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा नहीं की गई। फैसले के लगभग 30 वर्ष बाद

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय को अपास्त कर पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रकरण अपील के श्रेणी में आता है, जो कि इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होकर सक्षम न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। अतः प्रकरण में सम्पूर्ण सुनवाई के अवसर होने एवं श्रवणाधिकार के अभाव के कारण ऐसा कोई बिन्दू प्रतीत नहीं होता, जिससे उक्त फैसले को इस न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई हेतु निर्देशित किया जाये। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 19.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा